

(2)

प्रपत्र-1

उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) -

**आवेदन पत्र**

कैम्प कोर्ट का स्थान :- ग्राम पिचयत (121210)

नम्बर मुकदमा :- 79/2019

उनवान मुकदमा :- 88,53,188 RFA मोड़खिंद v/s हीरखिंद

~~मोड़खिंद उर्फ मोड़ू पुत्र रेणखिंद~~  
~~पुत्र रेणना जति राणपत~~  
~~जिवादी - जतिगणेश मोड़ू दादा~~  
~~(121210) तहसील (उडपल्लारी)~~

**बनाम**

~~हीरखिंद पुत्र रेणना जी~~  
~~कोटा (12)~~

विषय :- लोक अदालत की भावना से प्रकरण में राजीनामा करने हेतु।

महोदय,

विनम्र निवेदन है, कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में वादी/प्रार्थी/अपीलार्थी/प्रतिवादी/प्रत्यर्थी/रेस्पोंडेन्ट/ है तथा उक्त प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा/समझौता करना चाहता है।

अतः कृपया उक्त प्रकरण अनुसारतः निस्तारित करने की कृपा करें।

प्रार्थी

.....

स्थान :- 29-10-2021

दिनांक :- ग्राम पिचयत (उडपल्लारी)  
(121210)

 *Handwritten signature*



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)  
कैम्प कोर्ट का स्थान :-

राजीनामा प्रपत्र

सेवामें, श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, दिनांक

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,  
प्रशासन गार्डों के संग अभिवादन पत्रिका - 2021  
नाम ए.रा.वि.ए.

प्रकरण संख्या :- 79/2019 अन्तर्गत धारा 88, 89, 138, 144

महोदय, उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री का निवेदन है, कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

उक्त प्रकरण की 2 दि के लम्बित होने पर पक्षकारों के बीच सुलह कर ली है। उक्त प्रकरण की 2 दि के लम्बित होने के बाद भी कोई विवाद नहीं रहा है। उक्त प्रकरण की 2 दि के लम्बित होने के बाद भी कोई विवाद नहीं रहा है। उक्त प्रकरण की 2 दि के लम्बित होने के बाद भी कोई विवाद नहीं रहा है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

वादी पक्ष 1. [Fingerprint] 2. 3. 4.

प्रतिवादी पक्ष 1. ए.रा.वि.ए. 2. 3. 4.

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर (धनराज सरपच) नाम ग्राम पंचायत बारासण पं.स. गड़ामालानी (बाडमेर)

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर (प्रतिवादी पक्ष) नाम

प्रार्थी/वादी द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर उसी ही स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिस्त्र रहे।

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

ए.रा.वि.ए. [Signatures]

पीठासीन अधिकारी (प्रमोद कुमार) उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी जिला-बाडमेर (राजीनामा)